विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 06/परीक्षा/व.अ. (विशेष शिक्षा)/माध्यमिक शिक्षा/2015–16 **दिनांक : 07.01.2016**

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में **वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)**के पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई–स्थाई होने की संभावना। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:–(पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।)

Sr. No.	No. of Posts	No. of Post(s)	Gen.				S.C.				S.T.				OBC				SBC				P.H.		
			Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	B/LV	HI	LD/CP
1	गणित	36	29	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2	अंग्रेजी	35	29	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
3	विज्ञान	34	28	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
4	हिन्दी	35	29	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
5	सामाजिक विज्ञान	37	29	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
6	संस्कृत	31	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
7	उर्दू	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		211	172	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	36	0	18

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के लिये) :–

(1)Graduate or equivalent examination with concerned subject as Optional Subject, and Degree in Education (Special Education) **OR** Degree in Education (General) with 2 years Diploma in Special Education recognised by the Rehabilitation Council of India.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (विज्ञान विषय के लिये) :–

Graduate or equivalent examination with at least two subjects as Optional Subjects out of the following subjects :

Physics, chemistry, Zoology, Botany, Micro Biology, Bio Technology and Bio Chemistry and Degree in Education (Special Education) **OR** Degree in Education (General) with 2 years Diploma in Special Education recognised by the Rehabilitation Council of India.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) :–

Graduate or equivalent examination with at least two subjects as Optional Subject out of the following subjects :

History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy and Degree in Education (Special Education) **OR** Degree in Education (General) with 2 years Diploma in Special Education recognised by the Rehabilitation Council of India.

(2)(सभी विषय पदों हेतु):–Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

रनिंग पे–बैण्ड	रनिंग पे–बेण्ड(9300–34800) ग्रेड पे रू. 4200/–
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
9	कीनिया, तंजानिया, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

नोट–

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) उक्त पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किये जा रहे हैं, अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में **कोई छूट देय नहीं होगी।**

अन्य विवरण

अनेक पदों के लिए आवेदन–	यदि कोई अभ्यर्थी **वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)** के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन–पत्र का **आवेदन पत्र क्रमांक** (Application ID) अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिये प्रथम प्रश्न–पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु उन्हें पृथक–पृथक परीक्षा देनी पड़ेगी। **यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है, तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जाएगा।**
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने

	के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरण**:– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।**विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षाराजस्थान राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है।
आवेदन अवधि	**दिनांक12–01–2016से दिनांक21–02–2016**रात्रि **12–00** बजेतक।
आवेदन प्रक्रिया	**1. ई–मित्र केन्द्रों पर परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक 19.02.2016 होगी एवं ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 21.02.2016 होगी।** **2. आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क हेतु नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराने की पूर्व में जारी नेट–बैंकिंग सुविधा के स्थान पर अब राज्य सरकार की ऑन–लाईन ई–ग्रास (Government Receipts Accounting System) से जमा कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त ई–मित्र पोर्टल परउपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से भी परीक्षा शुल्क जमा कराया जा सकता है।** **3. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।**
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन**दिनांक22–02–2016से दिनांक 21–03–2016**रात्रि **12–00** बजेतक।

For the competitive examination for the post of senior teacher (Special Education) :-

PAPER – I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :-

(i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.	80 marks
(ii) Current Affairs of Rajasthan	20 marks
(iii) General knowledge of world and India	60 marks
(iv) Educational Psychology.	40 marks
Total	200 marks

5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

PAPER – II

A. For the post of Senior Teacher (Special Education):-

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 Hours 30 Minutes
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :-

(i)	Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.	180 marks
(ii)	knowledge of graduation standard about relevant subject matter	80 marks
(iii)	Teaching methods of relevant subject.	40 marks
	Total	300 marks

5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों व सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार परिवर्तनीय होगी तदनुरूप भर्ती/परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसके लिए यथासमय सूचित कर दिया जावेगा।)

विशेष सूचना :–''**यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।**''

अन्य बिन्दु व सूचना :– **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in**या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in**पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव